

न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-13/2013
संस्थित दिनांक 04.01.2013
फाईलिंग क.234503002732013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-चेतनसिंह मसराम पिता पतिराम मसराम, उम्र 46 साल,
निवासी किनिया थाना बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

2-श्रीमती कुशीमा कुर्वेती पति यशवंत कुर्वेती, उम्र 45 साल,
निवासी बिन्दुशला रामबाग नरसिंहपुर रोड छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.)

----- **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 18/01/2018 को घोषित)

01- आरोपी चेतनसिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं धारा-3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 19.08.12 को 05:00 बजे शाम ग्राम संजय नगर भण्डेरी थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी-28एम.4304 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत रविन्द्र को ठोस मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति बीमा के चलाया तथा आरोपी श्रीमती कुशीमा के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के तहत आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को आरोपी चेतन से बिना वैध बीमा के बिना वैध अनुज्ञप्तिधारक से चलवाया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अमृतसिंह ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका भांजा रविन्द्र मसराम दिनांक 19.08.12 को अपनी बुआ सोहद्राबाई को मोटर सायकिल से सरेखा छोड़ने गया था और करीब 05 बजे शाम को उसे गांव का शैलेन्द्र मातरे ने फोन करके बताया कि सुरेन्द्र मातरे के घर के

सामने उसके भांजे का मोटर सायकिल से चेतनसिंह मसराम ने एक्सीडेंट कर दिया है, जिससे उसे चोट लगी है। सूचना मिलने पर तत्काल मोके के लिए रवाना हुआ तभी रास्ते में चेतनसिंह अपनी मोटर सायकिल में रविन्द्र को बैठाकर घर तरफ एक अन्य लड़के की मदद से ला रहा था, जहाँ से वह भांजे को साथ लेकर आया तब भांजे ने बताया कि वह बुआ को सरेखा से छोड़कर घर वापस आ रहा था कि सुरेन्द्र मातरे के घर के सामने उसकी मोटर सायकिल स्पिल होने से गिर गया था तथा उसका बांया हाथ घास में फँसा हुआ था, तभी उसके पीछे से चाचा चेतनसिंह अपनी मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.28एम.4304 को तेज गति लापरवाहीपूर्वक चलाते लाया और उसके बाएँ हाथ के उपर से मोटर सायकिल चलाकर ले गया, जिससे उसके हाथ में चोट लगी। घटना को गोमती बाई, सुरेन्द्र मातरे तथा अन्य लोगों ने देखे हैं। उसके बाद उसके भांजे का ईलाज बालाघाट तथा बाद में गोंदिया में किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान उसके बांये हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर होने से धारा-338 ता.हि. बढ़ाई गई। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत-मुचलके पर रिहा किया गया। आरोपी चालक द्वारा उक्त वाहन के कागजात पेश नहीं करने पर आरोपी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 39/192, 146/196 का ईजाफा किया गया तथा वाहन मालिक द्वारा बिना लायसेंसधारी व्यक्ति तथा बिना बीमा के चलवाये जाने से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196, 5/180 का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 178/12 दिनांक 24.12.12 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03- अभियुक्त चेतनसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं धारा-3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम एवं आरोपी श्रीमती कुशीमा के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी चेतनसिंह ने दिनांक 19.08.12 को 05:00 बजे शाम ग्राम संजय नगर भण्डेरी थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी-28एम. 4304 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी चेतनसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुये आहत रवीन्द्र को ठोस मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी चेतनसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति तथा बीमा के चलाया ?
4. क्या आरोपी श्रीमती कुशीमा ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के बिना वैध अनुज्ञप्तिधारक से चलवाया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 से 02 का निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

नोट:-साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी रविन्द्र(अ0सा0-1) ने कहा है कि आरोपी को पहचानता है। घटना 19 अगस्त, 2012 दिन के लगभग 05 बजे ग्राम भण्डेरी के संजय नगर में हुई थी। घटना दिनांक को वह मोटर सायकिल से वापस भण्डेरी आ रहा था। घटना दिनांक को जब वह आरोपी चेतन के साथ बातचीत करके 10 की स्पीड से आ रहा था तब उसकी मोटर सायकिल का चका गोबर में चढ़ जाने से फिसल गई थी और वह गिर गया था तभी पिछे से आरोपी की मोटर सायकिल बांये हाथ को लग गई थी। उसका इलाज खान हास्पिटल बालाघाट में हुआ था। फिर शासकीय अस्पताल बैहर में रिपोर्ट करने के दौरान इलाज हुआ था। इसके पूर्व उसका गोंदिया में बांये हाथ का आपरेशन हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त घटना में आरोपी की गलती थी और कुछ उसकी भी गलती थी। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके नीचे गिरने के बाद लगभग एक मिनट से आरोपी की गाड़ी उसके बांये हाथ के उपर से चली गई,

किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से घटित हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी चेतन उसका भाई लगता है किन्तु अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिए झूठा कथन कर रहा है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को आरोपीगण गलती से दुर्घटना होने वाली बात बतायी थी, उसने पुलिस को प्रपी-01 का बयान दिया था।

06. साक्षी रविन्द्र(अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि पुलिस ने उसका पूछताछ थाने में एवं उसके घर में किया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसका बयान नहीं लिखा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि वह अपने पुलिस बयान को पढ़कर नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार वह जैसा बता रहा था वैसा पुलिस वाले लिख रहे थे। वह और आरोपी रोड पर एक-दूसरे से बातचीत करते हुए धीरे 10-10 की स्पीड से चल रहे थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके बयान में तेज गति व लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाने के संबंध में लिखा होगा तो वह गलत है, उसकी गाड़ी गोबर की वजह से स्लीप होकर फिसल गई, जिस कारण वह गिर गया और गिरने के कारण बांये हाथ में चोट आयी थी।

07- साक्षी अमृतसिंह (अ0सा0-02) ने कहा है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी एवं आहत रविन्द्र को जानता है। घटना 8-10 माह पूर्व की है। घटना समय रविन्द्र उसके घर पर ही रह रहा था। आहत रविन्द्र के दुर्घटना की सूचना उसे शैलेन्द्र मात्रे ने बतायी थी। घटना दिनांक को रविन्द्र अपनी बुआ को छोड़कर भण्डेरी वापस आ रहा था। घटना के बाद उसे रविन्द्र ने बताया था, कि उसकी गाड़ी स्लीप होकर गिर गई थी, और उसके हाथ पर से आरोपी की गाड़ी चली गई थी। उक्त दुर्घटना आरोपी चेतनसिंह की गलती से होना रविन्द्र ने उसे बताया था। घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में उसने की थी, जो प्रपी-02 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने घटना स्थल बता दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का नजरी-नक्शा प्रपी-03 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

08— साक्षी अमृतसिंह (अ0सा0-02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में उसे शैलेन्द्र और रविन्द्र ने बताया था, उसने घटना स्वयं नहीं देखा, रविन्द्र और शैलेन्द्र ने उसे झूठी जानकारी दी होती तो जानकारी नहीं है। वह यह नहीं बता सकता कि आरोपी गाड़ी धीरे चला रहा था या तेज गति से चला रहा था। साक्षी ने इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि रविन्द्र की गाड़ी गोबर से स्लीप होकर गिर गयी थी, आरोपी एवं आहत दोनों धीमी गति से गाड़ी चला रहे थे, प्रार्थी की मोटर सायकिल गोबर से फिसलने के कारण प्रार्थी के गिरने से उसका बाया हाथ फ्रेक्चर हुआ होगा उसकी जानकारी नहीं है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस रिपोर्ट प्रपी-02 पढ़कर नहीं देखा था और हस्ताक्षर कर दिया था, नजरी-नक्शा प्रपी-03 में थाने में बैठकर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी-03 नजरी-नक्शा पढ़कर नहीं देखा।

09— साक्षी गोमतीबाई (अ0सा0-03) ने कहा है कि वह आहत को जानती है। वह आरोपी को नहीं पहचानती। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व की है। वह घटना के बाद घटनास्थल पर गयी थी, आहत को उठाकर खड़ा कर लिये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान नहीं लिया था। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी ने अपनी मोटर साईकिल को तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर आहत रविन्द्र मसराम जो जमीन पर गिरा था उसके बांये हाथ के उपर से अपनी मोटर सायकिल का चक्का ले गया था, उसने पुलिस की प्रपी-04 का कथन दिया था, वह आरोपी से मिल गयी है और उसे बचाने के लिये झूठा कथन कर रही है।

10— साक्षी सुरेन्द्र कुमार(अ0सा0-04) ने कथन किया है कि वह आहत एवं आरोपी दोनों को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के 3-4 बजे की है। घटना के समय वह घर पर अपना कार्य कर रहा था। उसी समय उक्त स्थान से तीन बिजली पोल के पास भीड़ लगी हुई थी तो वह अमृतसिंह के साथ घटना स्थल पर गया था वहां पर आहत रविन्द्र मसराम को उठा लिये थे और आरोपी चेतन भी वहीं था। घटनास्थल पर उसे जानकारी लगी कि

आरोपी की गाड़ी आहत के साथ पर चढ़ गई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आहत रविन्द्र मोटर सायकिल फिसलने के कारण रोड पर उसके समक्ष गिर गया था, तभी उसी समय आरोपी ने अपनी मोटर सायकिल तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर रविन्द्र के बांये हाथ के उपर चक्का चढ़ा दिया था, उसने पुलिस को प्रपी-05 का अ से अ भाग का कथन दिया था, वह आरोपी से मिल गया है, वह आरोपी को बचाने के लिये झूठा कथन कर रहा है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, घटना कितने समय घटी इसकी सही जानकारी नहीं बता सकता, उसने पुलिस को जैसा बयान दिया था, वैसा पुलिस ने बयान नहीं लिखा है, घटना किसकी लापरवाही से घटित हुयी वह नहीं जानता, क्योंकि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था।

11- साक्षी सौहद्राबाई(अ0सा0-05) ने कहा है कि वह आरोपी चेतनसिंह को जानती है। घटना उसके कथन देने की तिथि से लगभग एक-डेढ़ साल पहले की है। घटना दिनांक को वह रवि मसराम के साथ मोटर सायकिल में बैठकर ग्राम भण्डेरी से ग्राम सरेखा अपनी बहन के घर गई थी। रवि मसराम वहीं छोड़कर अकेले मोटर सायकिल लेकर वापस भण्डेरी आ रहा था। दुर्घटना कैसे हुई उसे जानकारी नहीं है। फिर उसे उसी समय एक लड़का लेने आया था, उसने उसे बताया था कि रवि की दुर्घटना हो गई है। फिर वह उसके साथ वापस भण्डेरी आ गई थी। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि वह नहीं बता सकती कि आरोपी चेतन ने अपनी मोटर सायकिल लापरवाहीपूर्वक चलाकर रवि मसराम जो उसका भतीजा है, जब वह जमीन पर गिरा था उसके बांये उपर से अपनी मोटर सायकिल चलाकर निकाला था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत रवि मसराम का बांया हाथ फ्रेक्चर हो गया था। यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिल गई है इसलिये उसे बचाने के लिए कथन कर रही है। साक्षी के अनुसार घटना के समय वह उपस्थित नहीं थी। यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी.06 का कथन दी थी।

12— साक्षी चंदनसिंह (अ0सा0-06) ने कहा है कि वह आरोपी चेतन को तथा आहत रवि मसराम को नहीं जानता है। घटना उसके कथन देने की तिथि से लगभग एक-डेढ़ साल पहले शाम के लगभग 4:30 बजे ग्राम भण्डेरी एवं सरेखा मार्ग की है। घटना दिनांक को वह जब खेत से घास ला रही थी, तो उसने देखा कि रोड पर एक मोटर सायकिल और एक व्यक्ति को हाथ में चोट लगी हुई थी। दुर्घटना होते हुए उसने नहीं देखा। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी चेतन ने अपनी मोटर सायकिल को लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत रविन्द्र मसराम के हाथ पर मोटर सायकिल चढ़ा दिया था, उसने पुलिस को प्रदर्श पी.07 का कथन दिया था तथा वह आरोपी से मिल गया है, इसलिये वहीं बात नहीं बता रहा है।

13— साक्षी डॉ० अब्दुल हाजी खान (अ0सा0-07) ने कहा है कि वह दिनांक 19.08.2012 को प्राईवेट खान नर्सिंग होम में अस्थिरोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता था। उक्त दिनांक को रविन्द्र मेश्राम ईलाज हेतु उसके पास आया था। उसने उक्त आहत का ईलाज के दौरान उसे निम्न चोटें पाया था। आहत के बांये हाथ की भुजा में ह्यूमरस बोन में कंपाउण्ड फ्रैक्चर था, जिसका एक्स-रे उसके द्वारा किया गया था। आहत के एक्स-रे में भी उक्त अस्थिभंग होना पाया गया था। आहत की एक्स-रे प्लेट आर्टिकल ए-1 है, जिसमें उक्त अस्थिभंग होना पाया था, जिसके आधार पर एक्स-रे रिपोर्ट प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सामान्य गति से वाहन टकराने पर या आहत के गिर जाने पर उक्त अस्थिभंग होना संभव है, यदि कोई व्यक्ति कोहनी के बल गिरता है तो उक्त प्रकार की चोट आ सकती है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा आहत का कोई ईलाज नहीं किया गया था तथा उसने आहत के बताये अनुसार रिपोर्ट तैयार की है।

14— डॉ० एन.एस. कुमरे (अ0सा0-08) ने कहा है कि वह दिनांक 15.09.2012 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के सैनिक सुमेश कर्मांक 101 द्वारा आहत रमेश पिता देवीसिंह मसराम को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसका परीक्षण करने पर उसने

एक पुरानी चोट, जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था। बाईं भुजा एवं बांये हाथ जो कि आहत द्वारा बताया गया कि डॉ० राउत एवं डॉ० खान द्वारा दिनांक 19.08.2012 को प्लास्टर लगाया गया है। आहत द्वारा उसे यह भी बताया गया था कि उसका एक्सीडेंट दिनांक 19.08.2012 को हुआ था। चोट की पूरी जांच संभव नहीं थी, क्योंकि प्लास्टर लगा हुआ था। उसके मतानुसार आहत को कोई फ्रेश इंजुरी नहीं थी। पुरानी चोट के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई थी एवं आगे ईलाज हेतु जिला अस्पताल बालाघाट हड्डी रोग विशेषज्ञ को रेफर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह इस बारे में नहीं बता सकता कि आहत को हाथ के बल गिर जाने से उक्त चोट आ सकती थी या नहीं। यह अस्वीकार किया है कि आहत रमेश उसके पास ईलाज हेतु नहीं आया था और उसने उसका परीक्षण नहीं किया था।

15— साक्षी संजयदास(अ०सा०-09) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था। पुलिस ने उसके समक्ष किसी को गिरफ्तार नहीं किया था। साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष चेतनसिंह मसराम से हीरोहोण्डा सी.डी. डिलक्स सिल्वर कलर मोटर सायकिल नंबर एम.पी.28एम.4304, चेचिस नंबर 06डी-29एफ-27823 तथा इंजन नंबर 06डी-29ई-27473 जप्त नहीं किया था, जप्ती पत्रक प्र.पी.10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं तथा पुलिस ने उसके समक्ष चेतनसिंह मसराम को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उसके घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

16— साक्षी शैलेन्द्र मातरे (अ०सा०-10) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके कथन देने की तिथि से लगभग तीन-चार वर्ष पूर्व की है। उसे लोगों से पता लगा था कि उसके चाचा सुरेन्द्र के घर के सामने पप्पू तेकाम के भांजे का एक्सीडेंट हुआ था। उसे इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी

से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक 19.08.2012 की है। यह स्वीकार किया है कि घटना शाम पांच बजे की है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पप्पू तेकाम का भांजा रविन्द्र मसराम उसके चाचा सुरेन्द्र के घर के सामने गाड़ी स्लिप हो जाने से गिर गया था, तो उसके पीछे आरोपी चेतन मसराम अपनी मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.28एच.4304 को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रविन्द्र के हाथ पर चढ़ा दिया था, जिससे उसको बांये हाथ की कोहनी पर चोट लगी थी, रास्ते में ले जाते समय पप्पू मिला था, जो रविन्द्र को भण्डेरी से बालाघाट ईलाज करवाने ले गया था और उसने घटना देखी थी और पप्पू को मोबाईल से सूचना दी थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.10 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना के बारे में सुनी-सुनाई बात बता रहा है, एक्सीडेंट हुआ था या नहीं वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि वह घटनास्थल पर नहीं था तथा लोगों ने उसे गलत जानकारी ही होगी इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है।

17— साक्षी महिपाल(अ0सा0-11) ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से हीरोहोण्डा सी.डी. डिलक्स मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.28.एम.4304 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.10 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह चेतन मसराम को घटना के पहले से जानता है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, विवेचक के कहने पर उसने पुलिस थाना बैहर में हस्ताक्षर कर दिया था, उसके हस्ताक्षर के दस्तावेजों पर क्या लिखा था उसे पढ़कर नहीं बताया गया था तथा विवेचक के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके सामने गाड़ी की जप्ती नहीं की गई थी और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

18— साक्षी त्रिभुवन(अ0सा0-12) ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। पुलिस ने उसके समक्ष कुसिमाबाई से मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.28एम.4304 की आर.सी. बुक जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.12 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19— गजेन्द्र पटले (अ0सा0-13) ने कहा है कि उसके द्वारा थाना बैहर के अपराध क्रमांक 126/12 में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स क्रमांक एम. पी.28एम.4304 का मैकेनिकल परीक्षण किया गया था, परीक्षण पर उसने वाहन के ब्रेक, इंजन, गियर, क्लच, हेडलाईट, साईड इंडीकेटर, हॉर्न तथा हैंडल ठीक अवस्था में तथा टायर पुराने घिसे हुये पाये थे। वाहन में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं थी तथा वाहन चालू हालत में था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने वाहन परीक्षण के संबंध में कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं की है तथा उसे वाहन परीक्षण हेतु कोई सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है।

20— साक्षी राजिक सिद्धिकी(अ0सा0-14) ने कहा है कि वह दिनांक 27.08.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 126/12 धारा-279, 337 भा.द.वि. की केस डायरी थाना प्रभारी द्वारा विवेचना हेतु दी गई थी। दिनांक 28.08.2012 को उसके द्वारा घटनास्थल ग्राम भण्डेरी जाकर प्रार्थी अमृतसिंह टेकाम की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी अमृतसिंह, गवाह सुरेन्द्र मात्रे, शैलेन्द्र मात्रे, गोमतीबाई, चंदन दांद्रे तथा दिनांक 04.12.2012 को गवाह रविन्द्र मसराम, सोहद्राबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 05.12.2012 को आरोपी चेतनसिंह द्वारा थाना बैहर में लाकर पेश करने पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स जिसका नंबर एम.पी.28एम.4304 को गवाह संजयदास मांगरे तथा महिपाल के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.10 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 23.12.2012 को श्रीमती कुसिमाबाई द्वारा थाना बैहर में लाकर पेश करने पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स जिसका नंबर एम.पी.28एम.4304 की एक आर.सी.

बुक गवाह भूनेश्वर तथा भुवन उयके के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.12 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

21— साक्षी राजिक सिद्धिकी(अ0सा0-14) के अनुसार दिनांक 05.12.2012 को उसके द्वारा थाना बैहर में आरोपी चेतनसिंह को गवाह संजय एवं महिपाल के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी चेतनसिंह के हस्ताक्षर है। आहत रविन्द्र मसराम की बेड हेड टिकिट एवं एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया था। दिनांक 04.01.2013 को उसके द्वारा वाहन मालिक श्रीमती कुसिमा कुर्वेती को धारा-133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस प्र.पी.14 दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, जिसका जवाब नीचले भाग पर उसके द्वारा दिया गया था, जिसमें उसने यह बताया था कि उक्त वाहन बहन प्रमिला पति सुखचरण मसराम को दहेज में दी थी, जिसे घटना के समय आरोपी चेतनसिंह चला रहा था। उक्त नोटिस प्र.पी.14 के बी से बी तथा सी से सी भागों पर वाहन मालिक कुसिमा कुर्वेती के हस्ताक्षर है। प्रकरण में आरोपी के पास लायसेंस न होने, कागजात न होने, बीमा न होने तथा वाहन मालिक द्वारा आरोपी को बिना लायसेंस के वाहन चलाने देने से उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा-3/181, 29/192, 146/196, 5/180 का ईजाफा किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

22— साक्षी राजिक सिद्धिकी(अ0सा0-14) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा मौका-नक्शा थाने में बैठकर तैयार किया गया था, आरोपी चेतनसिंह से मोटर सायकिल जप्त नहीं किया था, श्रीमती कुसिमाबाई से वाहन के कागजात जप्त नहीं किया था, प्रार्थी अमृतलाल तथा गवाह सुरेन्द्र, शैलेन्द्र, गोमतीबाई, चंदन दांद्रे, रविन्द्र मसराम एवं सोहद्राबाई के कथन अपने मन से लेख कर लिया था। साक्षी के अनुसार उनके बताये अनुसार लेख किया था। साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि उसने आरोपी चेतनसिंह मसराम को गिरफ्तार नहीं किया था, इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही थाने में बैठकर तैयार किया था और घटनास्थल पर कोई कार्यवाही नहीं किया था तथा उसने प्रार्थी से मिलकर

आरोपी के विरुद्ध झूठी विवेचना किया है।

23— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को सड़क दुर्घटना में आहत रविन्द्र को चोटें आई थी, परन्तु उक्त चोट अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण आचरण से कारित हुई थी, उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। स्वयं घटना के आहत रविन्द्र अ.सा.01 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि उसकी गाड़ी स्लिप होकर गोबर की वजह से फिसल गई और गिरने के कारण ही उसे बांये हाथ में चोट आई थी तथा घटना में कुछ उसकी भी गलती थी। अन्य किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है।

24— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की हैं। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत रविन्द्र को बांये हाथ में घोर उपहति कारित किया। अतः अभियुक्त चेतनसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-03 एवं 04 का निष्कर्ष:-

25— साक्षी राजिक सिद्धिकी(अ0सा0-14) के अनुसार विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी के पास लायसेंस न होने, कागजात न होने, बीमा न होने तथा वाहन मालिक द्वारा आरोपी को बिना लायसेंस के वाहन चलाने देने से उसके द्वारा

आरोपीगण के विरुद्ध धारा-3/181, 29/192, 146/196, 5/180 का ईजाफा किया गया था। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये गये हैं कि घटना के समय उसके पास वाहन चलाने का लायसेंस, बीमा तथा दस्तावेज नहीं थे। दुर्घटना के समय वैध अनुज्ञप्ति तथा बीमा होने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति तथा बिना बीमा के चलाया गया एवं वाहन मालिक अभियुक्त श्रीमती कुसीमाबाई द्वारा घटना के समय उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यक्ति से बिना बीमा के चलवाया गया। फलतः अभियुक्त चेतनसिंह को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 146/196 तथा अभियुक्त कुसीमाबाई को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5/180, 146/196 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

26— अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ देना अथवा उनके विरुद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उन्हें एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

27— अतः अभियुक्त चेतनसिंह को मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के लिए कमशः 5,00/- (पांच सौ) रुपये तथा 1,000/- (एक हजार) रुपये तथा अभियुक्त श्रीमती कुसीमा को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5/180, 146/196 के अपराध के लिये कमशः 1,000-1,000/- (एक-एक हजार) रुपये कुल 3,500/- (तीन हजार पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

28— अभियुक्तगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

29— अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

30— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.28एम.4304 न्यायालय में सुरक्षार्थ रखा गया है। वाहन को उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

31— अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही /—
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्र
(शासकीय / विधिक उपयोग)